



10/10
2022

वादीगण एवं प्रतिवादीगण व इनके अधिवक्ता
ने उपरोक्त डेकर वाद प्रकरण संख्या 194/2019
को विद्ये करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
गया जिस पर पत्रावली को सीगट से
हलब की गई। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। वकील उभय पक्ष को सुना गया
वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 23 नियम नियम 3 सी.पी.
सी का स्वीकार किया जाता है। वाद प्रकरण
में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता हो
जाने से वाद प्रकरण को अब और आगे
पहचान नहीं पाएँगे। इस कारण वाद
पत्र को विद्ये कर लेने से वाद प्रकरण में
कार्यवाली इसी स्तर पर बन्द की जा रही
है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 धार. सी. ए. के प्रकरण
संख्या 63/2019 में पूर्व में प्रस्तावित स्थगन
आदेश प्रभावहीन होगा। पत्रावली फंसल
सुमार डेकर नम्बर से कम है।

शंकर दास

दिनेश दास
वकील,
इलाहाबाद

नि. कुमार




उपखण्ड अधिकारी
इलाहाबाद

